दिनांक 19.11.2024
प्रेस विज्ञप्ति 29/2024

मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।

<u>जनपद मेरठ/थाना जानी</u>

- **पुलिस कार्यवाही में 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस**
- **01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद**

दिनांक 19.11.2024 को थाना जानी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बाफर बम्बे के पास चेकिंग के दौरान मोटर साइकिल सवार बदमाश को रोकने का प्रयास किया गया तो बदमाश ने पुलिस टीम पर जान से मारने की नियत से फायरिंग कर दी। पुलिस टीम द्वारा की गई आत्मरक्षार्थ कार्यवाही में पुरस्कार घोषित अभियुक्त आसिफ घायल हो गया, जिसे गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस, 01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि बरामद हुई। घायल को उपचार हेतु अस्पताल भेजा गया।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है, जिसके विरूद्ध जनपद मेरठ, बागपत, मुजफ्फरनगर के विभिन्न थानो में हत्या का प्रयास, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 14 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्त थाना जानी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना जानी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

<u>गिरफ्तार अभियुक्त</u>

1–आसिफ निवासी नई बस्ती, गौरीपुरा थाना कोतवाली जनपद बागपत।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित/खोखा कारतूस।

2—01 मोटर साइकिल (बिना नम्बर प्लेट) आदि।

जनपद कौशाम्बी/थाना करारी

- **25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित अभियुक्त गिरफ्तार**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद**

दिनांक 18.11.2024 को थाना करारी पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर गुलामीपुर नहर पुलिया के पास से पुरस्कार घोषित अभियुक्त नीलू उर्फ वीरेन्द्र को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्त के कब्जे से 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म का अपराधी है जो थाना करारी पर पंजीकृत अभियोग में वांछित चल रहा था, जिसकी गिरफ्तारी हेतु जनपद स्तर से 25 हजार रूपये का पुरस्कार घोषित था।

इस सम्बन्ध में थाना करारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1—नीलू उर्फ वीरेन्द्र निवासी अलीगंज थाना कोखराज जनपद कौशाम्बी।

बरामदगी

1—01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस।

जनपद सुलतानपुर/थाना गोसाईगंज

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **03 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **भारी मात्रा में लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **03 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन**
- **01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.11.2024 को थाना गोसाईगंज व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर खरसोमा अण्डरपास के पास से 03 अभियुक्तों 1–मिर्जा अरबाज उर्फ डाक्टर 2–शाकिब 3–तौसीफ को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से भारी मात्रा में लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, 03 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन, 01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 06.11.2024 को थाना गोसाईगंज क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण आदि लूट की घटना से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना गोसाईगंज पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–मिर्जा अरबाज उर्फ डाक्टर निवासी ग्राम मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

2–शाकिब निवासी ग्राम मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

3–तौसीफ निवासी अजीजपुर थाना गोसाईगंज जनपद सुलतानपुर।

बरामदगी

1–भारी मात्रा में लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–03 हजार रूपये नगद, 03 मोबाइल फोन।

3–01 अवैध तमंचा 315 बोर मय जीवित कारतूस आदि।

जनपद आजमगढ़/थाना सिधारी

- **लूट की घटना का अनावरण**
- **02 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चाँदी के आभूषण**
- **लूट/चोरी के 11 हजार रूपये नगद**
- **02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.11.2024 को थाना सिधारी व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर बैठौली पुल के पास से 02 अभियुक्तों 1–टेनी उर्फ सरताज आलम 2–शेरू उर्फ मो0महफूज को गिरफ्तार कर लूट की घटना का अनावरण किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चाँदी के आभूषण, लूट/चोरी के 11 हजार रूपये नगद, 02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि दिनांक 03.11.2024 को थाना सिधारी क्षेत्रान्तर्गत अज्ञात बदमाशों द्वारा लूट की घटना कारित की गई थी, जिसके सम्बन्ध में थाना सिधारी पर अभियोग पंजीकृत कर घटना के अनावरण के प्रयास किये जा रहे थे। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद आभूषण, रूपया आदि लूट की घटनाओं से सम्बन्धित है। गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त टेनी उर्फ सरताज के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में लूट, चोरी, धोखाधड़ी, आर्म्स एक्ट आदि के 09 अभियोग एवं अभियुक्त शेरू उर्फ मो0महफूज के विरूद्ध जनपद आजमगढ़ के विभिन्न थानो में चोरी, आर्म्स एक्ट आदि के 05 अभियोग पंजीकृत है।

इस सम्बन्ध में थाना सिधारी पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–टेनी उर्फ सरताज आलम निवासी बासूपार थाना जीयनपुर आजमगढ़।

2–शेरू उर्फ मो0महफूज निवासी खास बाजार थाना जीयनपुर जनपद आजमगढ़।

बरामदगी

1–लगभग 01 लाख 50 हजार रूपये कीमत के लूट के सोने–चाँदी के आभूषण।

2–लूट/चोरी के 11 हजार रूपये नगद।

3–02 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर/थाना सेक्टर–20

- **05 अभियुक्त गिरफ्तार**
- **चोरी की 05 चार पहिया वाहन**
- **चोरी के 01 एलईडी टीवी, 01 इन्वार्टर, बैट्री**
- **01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद**

दिनांक 19.11.2024 को थाना सेक्टर–20 व क्राइम ब्रान्च की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा सूचना के आधार पर एलिवेटेड रोड के पास निठारी से 05 अभियुक्तों 1–विनोद 2–आदेश कुमार 3–करन उर्फ सोनू 4–प्यारेलाल 5–इन्द्राज को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों के कब्जे/निशादेही से चोरी की 05 चार पहिया वाहन, चोरी के 01 एलईडी टीवी, 01 इन्वार्टर, बैट्री, 01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि बरामद हुए।

उल्लेखनीय है कि गिरफ्तार अभियुक्त शातिर किस्म के अपराधी हैं, जिसमें अभियुक्त आदेश कुमार के विरूद्ध जनपद कानपुर देहात, कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर, गाजियाबाद के विभिन्न थानो में चोरी, धोखाधड़ी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 13 अभियोग एवं अभियुक्त करन उर्फ सोनू के विरूद्ध कमिश्नरेट गौतमबुद्धनगर व गाजियाबाद के विभिन्न थानो में हत्या, लूट, चोरी, गैंगेस्टर एक्ट, आर्म्स एक्ट आदि के 18 अभियोग पंजीकृत है। गिरफ्तार अभियुक्तों से बरामद वाहन, टीवी, इन्वार्टर आदि चोरी की घटनाओं से सम्बन्धित है।

इस सम्बन्ध में थाना सेक्टर–20 पर अभियोग पंजीकृत कर विधिक कार्यवाही की जा रही है।

गिरफ्तार अभियुक्त

1–विनोद निवासी नहटौली थाना जैतपुर कमिश्नरेट आगरा।

2–आदेश कुमार निवासी कोठीपुर थाना फंफुद जनपद औरैया।

3–करन उर्फ सोनू निवासी महाराम विश्वास नगर शाहदरा थाना विश्वासनगर नई दिल्ली, हालपता शिव विहार कॉलोनी थाना खोडा कमिश्नरेट गाजियाबाद।

4–प्यारेलाल निवासी चकरूल्दू सिंह वाला थाना संगत मण्डी जनपद भटिंडा पंजाब।

5–इन्द्राज निवासी सबुआना थाना टिब्बी जनपद हनुमानगढ राजस्थान।

बरामदगी

1–चोरी की 05 चार पहिया वाहन।

2–चोरी के 01 एलईडी टीवी, 01 इन्वर्टर, बैट्री।

3–01 अवैध तमंचा मय जीवित कारतूस आदि।

➢ **जनपद जौनपुर/थाना केराकत (प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड)**

जनपद जौनपुर पुलिस द्वारा प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय जनपद जौनपुर द्वारा थाना केराकत पर पंजीकृत अभियोग में धारा 5/6 पॉक्सो एक्ट सपठित धारा 376 भादवि के अन्तर्गत अभियुक्त पंकज को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 01 लाख रूपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई गयी।

———————